न्यायालय उपजिलाधिकारी पुरवा जिला उन्नाव वाद सं० T२०१९०६९०२००२६६ धारा 80 उ०प्र० रा० सं० २००६ सविता एण्ड राम फाउण्डेशन जी कालेज आफ एजुकेशन एण्ड ट्रेनिंग चकजमालपुर प्रबन्धक सुरेन्द्र कुमार सिंह VS सरकार उ०प्र० नकल आदेश दि० २३.१.१९ ग्राम चकजमालपुर पर० व त० पुरवा जिला उन्नाव की प्रमाणित छायाप्रति।

आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल :लखनऊ,जनपद :उन्नाव,तहसील :पुरवा
वाद संख्या :-00266/2019
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-T201910690200266
सविता एण्ड राम फाउण्डेशन जी कालेज आफ एजुकेशन एण्ड ट्रेनिंग चकजमालपुर प्रबन्धक सुरेन्द्र कुमार सिंह
बनाम सरकार उ0प्र0
अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

ग्राम– चकजमालपुर परगना पुरवा तहसील
पुरवा जिला उन्नाव।

निर्णय

प्रस्तुत वाद तहसीलदार पुरवा की आख्या दिनांक 05.12.2018 के आधार पर संस्थित किया गया। तहसीलदार पुरवा ने अपनी आख्या में उल्लेख किया है कि ग्राम चकजमालपुर परगना पुरवा तहसील पुरवा जिला उन्नाव की खतौनी सन् 1421–1426फ0 के खाता सं0 00122 की गाटा सं0 40 रकबा 2.2760है0 का 4/9 भाग सविता एण्ड राम फाउण्डेशन जी कालेज ऑफ एजुकेशन एण्ड ट्रेनिंग चकजमालपुर प्रबन्धक सुरेन्द्र कुमार सिंह पुत्र श्री राम सिंह नि0 हिन्दपालखेड़ा म0 महाई परगना हड़हा तहसील व जिला उन्नाव के नाम संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। वादी के द्वारा उक्त गाटा सं0 40 रकबा 2.2760है0 में से रकबा 1.0120है0 भाग भूमि को अकृषिक घोषित किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। प्रश्नगत भूमि में कृषि कार्य बागबानी पशुपालन जिसके अन्तर्गत कुक्कुट पालन व मत्स्य पालन का कार्य नही हो रहा है। प्रश्नगत भूमि गाटा सं0 40 रकबा 2.2760है0 के रकबा 1.0120है0 पर विद्यालय निर्मित है तथा बाउन्ड्री बनी हुई है। वादी द्वारा इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया है कि प्रश्नगत भूमि पर निर्माण से सार्वजनिक न्यूसेंस होने की संभावना नही है तथा उक्त निर्माण कार्य सार्वजनिक स्वास्थ्य, सुरक्षा व सुविधा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नही है। तहसीलदार पुरवा द्वारा उक्त भूमि पर निर्माण से सार्वजनिक न्यूसेंस होने की संभावना व सार्वजनिक स्वास्थय सुरक्षा व सुविधा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नही है का भी उल्लेख किया गया है। तहसीलदार पुरवा के द्वारा आख्या दिनांक 05.12.2018 के साथ स्थल की फोटो सहित आवश्यक प्रपत्रों के साथ उक्त भूमि को धारा--80 उ0प्र0रा0सं0 2006 के अन्तर्गत अकृषिक घोषित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

मैने पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखीय साक्ष्यों का विधिवत् अवलोकन व परिशीलन किया। तहसीलदार पुरवा की आख्यानुसार उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 की धारा 80(1) के अन्तर्गत अपेक्षित विधिक शर्तें पूर्ण हो रही है। आवेदक द्वारा नियामनुसार निर्धारित उद्घोषणा शुल्क मु0 38456–00 रू0 जमा कर ट्रेजरी चालान की प्रति प्रस्तुत की गयी, तथा नियामानुसार न्याय शुल्क के रूप में मु0 38460–00रू0 स्टाम्प द्वारा अदा किया गया है, जो संलग्न पत्रावली है। ऐसी स्थिति में आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र विधिक रूप से स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

ग्राम चकजमालपुर परगना पुरवा तहसील पुरवा जिला उन्नाव की वर्तमान खतौनी सन् 1421–1426फ0 के खाता सं0 00122 की गाटा सं0 40 रकबा 2.2760है0 मे से रकबा 1.0120है0 सविता एण्ड राम फाउण्डेशन जी कालेज ऑफ एजुकेशन एण्ड ट्रेनिंग चकजमालपुर प्रबन्धक सुरेन्द्र कुमार सिंह पुत्र श्री राम सिंह नि0 हिन्दपालखेड़ा म0 महाई परगना हड़हा तहसील व जिला उन्नाव की भूमि को उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 की धारा 80(1) के अन्तर्गत अकृषिक घोषित किया जाता है। यह घोषणा केवल भू–राजस्व की दृष्टि से की जा रही है। अन्य अधिनियमों एवं मास्टर प्लान पर इसका प्रभाव नही होगा।

क्रमशः पेज 2 पर

आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल :लखनऊ,जनपद :उन्नाव,तहसील :पुरवा
वाद संख्या :-00266/2019
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-T201910690200266
सविता एण्ड राम फाउण्डेशन जी कालेज आफ एजुकेशन एण्ड ट्रेनिंग चकजमालपुर प्रबन्धक सुरेन्द्र कुमार सिंह
बनाम सरकार उ0प्र0
अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

(2)

इस भूमि का प्रयोग भविष्य में कृषि, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, बागवानी आदि से संबन्धित कार्य हेतु उपयोग किया जाता है तो धारा 82 उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 के तहत तहसीलदार आख्या प्रस्तुत करेगें। पत्रावली पर प्रस्तुत साक्ष्य एवं तथ्य कभी भी अविधिक एवं जाली पाये जाने पर आदेश स्वतः निरस्त माना जायेगा। आदेश की एक प्रति उप निबन्धक पुरवा तथा राजस्व अभिलेखो में अंकन हेतु एक प्रति तहसीलदार पुरवा को भेजी जाये। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हों।

(राजेन्द्र कुमार)
उप जिलाधिकारी पुरवा
उन्नाव

आज दिनांक 23.1.19 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के साथ खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया।

उप जिलाधिकारी पुरवा,
उन्नाव

न्यायालय उप जिला अधिकारी उन्नाव पुरवा

प्रार्थना पत्र का नम्बर 954
प्रार्थी का नाम श्री राजेश कुमार
लिखें गए शब्द छायाप्रति
छपे हुए शब्द छायाप्रति
प्रार्थना पत्र देने का दिनांक 23.1.19
नकल तैयार करने का दिनांक 23.1.19
फीस नकल 13/—
नकल जारी होने का दिनांक 23.1.19
नकल बनाने वाले के हस्ताक्षर
नकल मुआयना कराने वाले के हस्ताक्षर

न्यायालय उप जिला अधिकारी उन्नाव पुरवा

सत्य प्रतिलिपि
23.1.19
~~अहलमद~~/रीडर